प्रेस विज्ञप्ति
23.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एएस टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेंद्र कुमार बंसल और श्रीमती शेफाली बंसल की 24.24 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (दिल्ली में 20 आवासीय फ्लैट) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, दिल्ली पुलिस द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने निदेशकों सुरेंद्र कुमार बंसल और सुश्री शेफाली बंसल के माध्यम से एक आपराधिक साजिश रची और स्टॉक और संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बंधक के आधार पर पीएनबी से नकद ऋण सुविधा के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक और अन्य बैंकों को धोखा दिया और पीएनबी और अन्य बैंक को 187.29 करोड़ रुपये का गलत नुकसान पहुंचाया। मेसर्स एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिए गए ऋण का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और मेसर्स एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी संस्थाओं और प्रमोटरों के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद के लिए विपथित किया गया था।

इससे पहले इस मामले में सुरेंद्र कुमार बंसल को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत 15.11.2022 को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा, ईडी द्वारा 13.01.2023 को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की गई जिसका संज्ञान माननीय विशेष न्यायालय द्वारा 10.03.2023 को लिया गया।

आगे की जांच जारी है।

प्रवर्तन
ED
निदेशालय
सत्यमेव जयते